

11/9/24

वकील जहाँ उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन  
किया गया। अवलोकन से जाते हुए कहा कि  
यह मुन्तजा पत्र श्री राजीव शर्मा SDM  
बयान के विकल्प में किया गया है।  
चूँकि लखन श्री राजीव शर्मा को स्थानांतरण  
उपरोक्त बयान के पद से SDM भरतपुर  
के पद पर हो जाने के कारण जा. पत्र स्वतः  
ही उभावहीन हो जाता है।

क्या जा. पत्र उभावहीन होने के कारण  
इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।  
पत्रावली के लाल गुमारा हो बाद कोर्टवाली  
दोखल दफ्तर है।

जिला कलक्टर  
भरतपुर